

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क. 969 / 2012
 संस्थित दिनांक-27.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर

जिला-बालाघाट (म0प्र0) — — — — — अभियोजन
 // **विरुद्ध** //

अरविंद चौधरी पिता होरीलाल, उम्र 32 वर्ष, जाति चमार,

निवासी-वार्ड नं0 15, बैहर, थाना बैहर,

जिला-बालाघाट (म0प्र0) — — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-04 / 09 / 2014 को घोषित)

1— आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के तहत आरोप है कि आरोपी ने दिनांक-16.11.2012 को शाम 4:30 बजे ग्राम बैहर से मुक्की रोड थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन जायलो क्रमांक एम.पी.50/टी.7777 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2— अभियोजन पक्ष का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-16.11.2012 को शाम 4:30 बजे बैहर से मुक्की रोड पर वाहन जायलो क्रमांक-एम.पी.50/टी.7777 के चालक आरोपी द्वारा तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में दर्ज करवायी गई, जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-172 / 2012, धारा-279 भा.द.वि. का मामला पंजीबद्ध गया। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, दुर्घटना कारित वाहन को जप्त किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—16.11.2012 को शाम 4:30 बजे ग्राम बैहर से मुक्की रोड थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन वाहन जायलो क्रमांक—एम.पी.50/टी.7777 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत नवीन (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पूर्व से नहीं पहचानता। घटना आज से लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 5—6 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने वाहन से बैहर आ रहा था तो बैहर के पास उसके वाहन को सामने से आ रहे एक अन्य चार पहिया वाहन गया तो उसने अपने वाहन को रोड़ के नीचे उतार लिया था। घटना की सूचना उसने थाना बैहर में दिया था जो प्रदर्श पी—1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा नहीं बनाया था। प्रदर्श पी—2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपी के द्वारा वाहन क्रमांक—एम.पी.50/टी.7777 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाये जाने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 दर्ज कराये जाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने पुलिस द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाये जाने एवं पुलिस को प्रदर्श पी—3 का कथन दिये जाने से भी इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा स्वयं सूचनाकर्ता होते हुए भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है।

6— अनुसंधानकर्ता लक्ष्मीचंद चौधरी (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—16.11.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा फरियादी नवीन कुमार की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी अरविंद के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी—1 अपराध क्रं. 172/12, धारा 279 भा.द.वि. लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त अपराध की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा विवेचना के दौरान दिनांक—17.11.2012 को प्रार्थी नवीन की निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी नवीन कुमार, मिथलेश के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी अरविंद से साक्षियों के समक्ष वाहन जाईलो क्रं. एम.पी.50/टी. 7777 मय दस्तावेज व आरोपी के लायसेंस सहित जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी—4 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही

उसके द्वारा आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण करवा कर परीक्षण रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया गया है। अनुसंधानकर्ता साक्षी ने अपनी साक्ष्य में समर्थनकारी साक्षी के रूप में अपनी साक्ष्य पेश किया है।

7— मामले में घटना के एकमात्र साक्षी सूचनाकर्ता नवीन कुमार (अ.सा.1) की साक्ष्य से घटना के समय आरोपी द्वारा उक्त वाहन को चलाये जाने का कथन नहीं किया है तथा आरोपी द्वारा कथित रूप से लोकमार्ग पर तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी के अलावा अभियोजन ने अन्य चक्षुदर्शी या स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी है। मामले में अनुसंधानकर्ता की मात्र समर्थनकारी साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। इस प्रकार मामले में आरोपित अपराध के संबंध में आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य का अभाव होने से आरोपी के विरुद्ध उसके द्वारा तथाकथित रूप से वाहन चलाये जाने का तथ्य ही प्रमाणित नहीं होता है।

8— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी कथित घटना दिनांक, समय व स्थान में लोकमार्ग पर वाहन वाहन जायलो क्रमांक-एम.पी.50/टी.7777 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

9— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन इ जायलो क्रमांक-एम.पी.50/टी.7777 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार बिहारीदास मुरचुले पिता फत्तेदास को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है। उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)